फिरौती के लिए अपहरण का मामला झूठा निकला

■ परिचित महिला से उधार लिए रूपये लौटाने के लिए युवक ने रची थी अपहरण की झूठी कहानी, युवक को गिरफ्तार किया

हनुमानगढ़,(कासं)। खुइयां पुलिस थाने में दर्ज फिरौती के लिए अपहरण करने का मामला जांच में झूठा पाया गया। युवक ने अपहरण की झूठी कहानी रचकर घर पर फोन कर रूपयों की मांग की थी ताकि वह अपनी परिचित महिला से लिए गए रूपये उसे लौटा सके।

प्रदीप कुमार पुत्र अर्जुनराम निवासी सिरंगसर ने खुइयां पुलिस थाना में रिपोर्ट दी कि उसका भाई भवानी शंकर भागवत कथा करने के लिए 19 जून को घर से वृंदावन (उत्तप्रदेश) गया था। 22 जून को उसके भाई भवानी शंकर को वापस गांव आना था। 22 जून को शाम के समय उसके भाई ने कॉल कर कहा कि उसका अपहरण कर लिया है। अपहरणकर्ता उससे 1 लाख 50 हजार रूपये मांग रहे हैं। रूपये नहीं देने पर वे उसे मार देंगे। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर फिरौती मांगने के आरोप में मामला दर्ज किया। मामले का जांच खुइयां पुलिस थाना प्रभारी एसआई अमरसिंह की ओर से शुरू की गई। थाना स्तर पर एएसआई महावीर सिंह के नेतृत्व में टीम का गठन कर टीम को नई दिल्ली, बुलंदशहर रवाना किया गया। टीम ने बुलंदशहर पहुंचकर भवानी शंकर (20) पुत्र अर्जुनराम निवासी सिरंगसर को डिटेन कर लिया।

जांच में भवानी शंकर के वृंदावन की किसी महिला से संबंध की बात सामने आई। इस महिला ने भवानी शंकर को करीब 70 हजार रूपये दिए थे। इसके अलावा महिला का मंगलसूत्र, कान के कुंडल सहित सोने के जेवरात लेकर भी भवानीशंकर ने बेच दिए। इससे प्राप्त सारी राशि भवानाशंकर ने खर्च कर दी। महिला के परिजनों को पता चलने पर उन्होंने अपनी सम्पूर्ण राशि वापस मांगी तो भवानीशंकर ने अपहरण की झूठी कहानी रचकर घर पर फोन कर रूपये की मांग की और कहा कि यदि रूपये नहीं दिए तो ये लोग उसे मार देंगे।

इसके पीछे भवानी शंकर का मकसद यह था कि वह उस महिला से लिए गए रूपये और गहने उनके परिजनों को वापस दे सके। जांच से अपहरण कर फिरौती मांगने का मामला झूठा पाया गया। खुइयां पुलिस ने इस मामले में भवानीशंकर को शांतिभंग की आशंका में गिरफ्तार किया है। कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम में एएसआई महावीर सिंह, हैड कांस्टेबल रामलाल, कांस्टेबल सोहनलाल और भागीरथ शामिल थे।

25 ग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार

हनुमानगढ़, (कासं)। संगरिया पुलिस ने हनुमानगढ़ टाउन थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति को 25 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी से बाइक भी जब्त की है। फिलहाल पुलिस आरोपी से हेरोइन की खरीद-फरोख्त और तस्करी के नेटवर्क के बारे में पूछताछ कर रही है।

जानकारी के अनुसार संगरिया पुलिस थाना के कार्यवाहक प्रभारी एसआई रणवीर सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम रविवार देर शाम को गश्त कर रही थी। इस दौरान पुलिस टीम ने हनुमानगढ़ रोड पर रोही रतनपुरा में एक बाइक सवार व्यक्ति को रुकवाया और तलाशी ली तो उसके पास 25 ग्राम हेरोइन मिली। पुलिस ने आरोपी रविन्द्र सिंह पुत्र यदुवीर सिंह राजपूत निवासी चक 11 एचएमएच, भद्रकाली मंदिर के पास ढाणी थाना हनुमानगढ़ टाउन को गिरफ्तार कर लिया।

अपहरण के मामले में आठ आरोपी गिरफ्तार

■ पीड़ित ने अपनी भतीजी के भगाने का आरोप लगाया तो अपहरण किया

अनूपगढ़, (कासं)। पुलिस ने अपहरण के मामले में दर्ज एक मामले में नामजद आरोपियों सहित 8 जनों को गिरफ्तार किया।

आरोपियों पर एससी/ एसटी सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज होने के कारण अनुसंधान पुलिस उपाधीक्षक रामेश्वर लाल द्वारा किया जा रहा था। अनूपगढ़ पुलिस थाने से मिली जानकारी के अनुसार गांव 1 केएएम निवासी दयालचंद पुत्र सुंदरपाल ने 24 जून रात मामला दर्ज करवाया था कि रामस्वरूप निवासी केएएम (खाल) की बेटी से उसकी बातचीत होती थी। 23 जून को रामस्वरूप उसे गांव बाण्डा कॉलोनी के पास मिला और अपनी भतीजी को भगाने का आरोप लगाते हुए जातिसूचक गालियां और उसे धमकाया।

24 जून को वह रामसिंह के साथ उसकी ढाणी से चक 1 केएएम खाल मोटरसाइकिल पर जा रहे तो लगभग 8 बजे मोगा के पास पहुंचे तो दो कार में सवार आठ लोगों ने मोटरसाइकिल को रूकवाकर उसको जातिसूचक गालियां देते हुए अगवा कर लिया। आरोपियों ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और एक आदमी ने उसे दांतों से काट खाया। पीड़ित ने बताया कि गाड़ी में बैठे सभी आरोपी फोन पर रामस्वरूप की भतीजी का पता नहीं बताने पर उसे जान से मारने की बात कर रहे थे। जब उसे लेकर विजयनगर पहुंचे तो नाकाबंदी देखकर आरोपियों ने उसकी आंखे खोल दी। उसने शोर मचाया और पुलिस को सारी बात बताई।

कल्ला आज बीकानेर आयेंगे

बीकानेर, (कासं)। शिक्षा मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला सोमवार रात्रि जयपुर से प्रस्थान कर मंगलवार प्रात: 4:10 बजे बीकानेर पहुंचेंगे।

शिक्षा मंत्री 27 और 28 जून को स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेने के पश्चात रात्रि 11:20 बजे रेल मार्ग से जयपुर प्रस्थान करेंगे।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

क्रमांक-LU2012/SGN/2023-24/100706 **लोक सूचना** दिनांक- 26/6/23

श्री दीपक कुमार जैन पुत्र श्री मनमोहन जैन निवासी 49 सी ब्लॉक, एमजीएस रोड, श्रीगंगानगर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का **व्यावसायिक प्रयोजनार्थ** के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् -

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं./भूमि का विवरण	क्षेत्रफल (हैक्टेयर)
1.	चक 6 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर	श्री दीपक कुमार जैन पुत्र श्री मनमोहन जैन	चक 6 ई छोटी मुरब्बा नं. 34 के किला नं. 16 में 0.190 हैक्टे. किला नं. 17 व 18 प्रत्येक 0.253 हैक्टे. किला नं. 19/1 में 0.251 हैक्टे. यथाकुल 0.947 हैक्टेयर	कुल 0.947 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारो के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 26/6/23 को जारी की गयी।- **प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर**

अपहरण के मामले में आठ आरोपी गिरफ्तार

36-सीकर की आर.के. गैंग के बदमाश श्रीगंगानगर से गिरफ्तार

-लूट की वारदात करने से पहले पकड़ा, पांचों पर हत्या, लूट, डकैती के कई मामले दर्ज

श्रीगंगानगर, यहां लालगढ़ जाटान थाना क्षेत्र में लूट की वारदात को अंजाम देने आए सीकर की आरके गैंग के पांच बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। तीन बदमाश सीकर,झुंझुनूं और दो श्रीगंगानगर के रहने वाले हैं। गैंग का मुखिया रवींद्र कटेवा झुंझुनूं जिले के नवलगढ़ थाने का हिस्ट्रीशीटर और कुख्यात बदमाश है। वह कई दिन से फरार था। उस पर हत्या, लूट, हत्या के प्रयास, डकैती, मारपीट, आर्म्स एक्ट, डकैती की योजना बनाने सहित कई मामले दर्ज है।

लालगढ़ जाटान एसएचओ परमेश्वर सुथार को इलाके में कुछ लोगों के डकैती की योजना बनाने की जानकारी मिली। इस पर कार्रवाई कर पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए पांच लोगों में झुंझुनूं जिले के नवलगढ़ थाने का हिस्ट्रशीटर रवींद्र कटेवा (24) पुत्र राजेंद्र कटेवा शामिल है। वह खिरोड़ ग्राम पंचायत के केमरी की ढाणी का रहने वाला है।

उसके साथ सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के रोटू बड़ी के रहने वाले सुनील कुमार (27) पुत्र शीशराम ढाका को भी गिरफ्तार किया गया है। सुनील सीकर के एनएसयूआई अध्यक्ष की हत्या के मामले में लिप्त रहा है। उस पर चाोरी, हत्या और मारपीट के मामले दर्ज है और वह सीकर के उद्योग नगर और दादिया थाना क्षेत्र में फिरौती और मारपीट के मामलों में फरार चल रहा है। श्रीगंगानगर के जवाहर नगर थाना क्षेत्र के गुरुनानक बस्ती के रहने वाले नीरज (20) पुत्र राजू उर्फ राजकुमार, श्रीगंगानगर के अशोकनगर बी जनता कॉलोनी के रहने वाले यश गुप्ता (19) पुत्र लक्ष्मीकांत गुप्ता और सीकर के बलारा का रहने वाला अनिल भार्गव (21) पुत्र संजय को भी गिरफ्तार किया गया। इनके पास से एक पिस्टल, तीन कारतूस, एक कापा, एक तलवार, चार डंडे, मिर्ची पाउडर और जीप मिले हैं।

बाइक सवार को टैंकर ने कुचला

बीकानेर, (कासं)। लूणकरनसर के हरीयासर बस स्टैंड के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए सड़क हादसे में एक और घायल की बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में मौत हो गई। इसी हादसे में एक युवक की कल ही मौत हो गई थी। मृतक बडेरण निवासी खादीम खां (17) का शव अब मोर्चरी में रखा गया है, जहां पोस्टमार्टम होगा।

लूणकरनसर के हरीयासर में बाइक पर जा रहे दो दोस्तों की टक्कर सामने से आ रहे तेल से भरे टैंकर से हो गई। राष्ट्रीय राजमार्ग 62 पर सामने से आ रहे तेज रफ्तार तेल के टैंकर ने दोनों को कुचल दिया। जिसमें एक युवक मृतक बुधराम गंवारिया की मौके पर ही मौत हो गई।

जबकि दूसरे युवक खादिम खान को बीकानेर के पीबीएम अस्पताल रैफर किया गया। वहां इलाज के दौरान उसकी सोमवार तड़के मौत हो गई। घायल को टाइगर फोर्स के सदस्यों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया था। जानकारी के अनुसार दम तोड़ने वाला बुधराम गंवारिया अपनी चार बहनों में इकलौता भाई था।

सार-समाचार

जेल प्रहरियों का मैस बहिष्कार जारी

अनूपगढ़,(कासं)। वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर उप कारागृह के प्रहरियों का मैस का बहिष्कार पांचवें दिन जारी रहा। लगातार पांच दिनों से मैस का बहिष्कार किए जाने का कारण देर रात तक सात प्रहरियों की तबीयत बिगड़ गई। चिकित्सा कर्मियों के परामर्श के बाद उन्हें उपचार के लिए अनूपगढ़ के राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गौरतलब है कि उप कारागृह के 3 मुख्य प्रहरी,11 प्रहरी तथा एक अन्य ने वेतन विसंतियों को दूर करने की मांग पर राज्य स्तरीय आव्हान पर 21 जून से मैस का बहिष्कार किया हुआ है। देर रात प्रहरी संजीव कुमार, हुकमाराम, बिट्टू कुमार, मुकेश कुमार, मोटाराम, चिमन लाल, विवेक कुमार की तबीयत खराब हो गई। जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती करवाया गया। गर्मी के मौसम में मैस के बहिष्कार के चलते 8 की तबीयत बिगड़ी। ऐसे में यदि सभी जेल प्रहरी की तबीयत बिगड़ जाती है तो उप कारागृह की सुरक्षा व्यवस्था भी बिगड़ सकती है। इससे पूर्व भी राजस्थान में वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर जेल प्रहरी आंदोलन कर चुके थे। 18 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री से वार्ता के बाद जेल प्रहरियों और सरकार के मध्य समझौता हुआ था कि उनकी मांगों को मान लिया जायेगा। सरकार की ओर से जेल प्रहरियों को आश्वासन दिया था कि 1 सप्ताह में उनकी वेतन विसंगतियों को दूर कर दिया जायेगा। मगर 5 महीने के बाद भी सरकार की ओर से जेल प्रहरियों की मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया गया।। जेल प्रहरियों ने बताया कि जब तक सरकार उनकी मांग नहीं मान लेती उनका आंदोलन जारी रहेगा।

ट्रेलर-ट्रैक्टर भिड़े, चालक की मौत

नोखा, (कासं)। ट्रेलर और ट्रैक्टर की भिड़ंत में ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि ट्रैक्टर में सवार एक युवक घायल है। हादसा नोखा-बीकानेर हाईवे पर पारवा गांव के पास हुआ। सूचना पर पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा। मिली जानकारी के अनुसार सुरपुरा निवासी बाबूलाल (50) पुत्र छगनलाल कुम्हार, पारवा निवासी हंसराज बिश्नोई पुत्र हजारीराम बिश्नोई के साथ पारवा में ट्रैक्टर से खेती करने गया। इसी दौरान वापस लौटते समय नोखा-बीकानेर हाईवे पर टोल नाके के पास एक ट्रेलर और ट्रैक्टर में भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि ट्रैक्टर चालक बाबूलाल की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि हंसराज गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसे उपचार के लिए बीकानेर रैफर कर दिया। हादसा होते ही आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। जिन्होंने पुलिस और एम्बुलेंस को घटना की सूचना दी। घटना की सूचना मिलते ही नोखा थानाधिकारी ईश्वर प्रसाद जांगिड़, एएसआई शंभू सिंह मय पुलिस टीम के मौके पर पहुंचे। बाबूलाल के शव को नोखा की बागड़ी अस्पताल में रखवाया है। जहां परिजनों के आने पर पोस्टमार्टम करवाया जायेगा।

जमीन विवाद में पति-पत्नी पर हमला

नोखा, (कासं)। जमीनी विवाद में भाई ने अपनी बहन और जीजा के साथ मारपीट कर दी। लहुलूहान हालात में खेत में ही छोड़कर फरार हो हुए। इस संबंध में पीड़िता ने अपने भाई और उसकी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पीड़िता राधा देवी ने रिपोर्ट में बताया कि आर.के. पुरम के पीछे हमारा खेत है। जहां पति के साथ गई हुई थी। इस दौरान उसका भाई चक विजयसिंहपुरा निवासी मौके पर लाठी लेकर आया। साथ उसकी पत्नी भी थी, जिसके पास कुल्हाड़ी थी। आरोपियों ने खेत से कब्जा छोड़ने की बात की कही। इसका विरोध करने पर भाई और उसकी पत्नी से मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद लहुलूहान हालत में खेत में ही छोड़कर फरार हो गए। नोखा थानाधिकारी ईश्वर प्रसाद जांगिड ने बताया कि पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है।

केश कला बोर्ड अध्यक्ष दौरे पर रहे

बीकानेर, (कासं)। केश कला बोर्ड अध्यक्ष महेन्द्र गहलोत ने सोमवार को श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा किया। गहलोत ने आमजन को संबोधित करते हुए राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने श्रीडूंगरगढ़ के गांव राजेडू, बापेऊ,कल्याणसर नया, जाखासर, केऊ बाडेला, धनेरु, नोसरिया, धर्मास, पुंदलसर, जैसलसर आदि गहलोत ने बीकानेर में बनने वाले सैन समाज के छात्रावास के भूमि पूजन की तैयारियों को लेकर स्थानीय लोगों से मुलाकात की।

31 होनहार सम्मानित

नोखा,(कासं)। पीपा क्षत्रिय समाज नोखा का दूसरा प्रतिभावान समारोह सोमवार को आयोजित किया जिसमें समाज की 31 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ नरेन्द्र सिंह सोलंकी बीकानेर ने की। मुख्य अतिथि धर्मीचंद परिहार बिलाड़ा थे। विशिष्ट अतिथि हड़मान चौहान मेड़ता सिटी, प्रकाशचंद सोलंकी, धर्मेन्द्र राखेचा शिवगंज सिरोही, ओम कच्छावा बीकानेर, डॉ. विजय लक्ष्मी गोयल जोधपुर, शांता देवी दैया, कमल किशोर दैया, बद्रीनारायण चौहान, ज्ञानचंद तंवर, भैराराम गोयल थे।

समारोह में विभिन्न बोर्ड परीक्षाओं में 70 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 5 वीं, 8 वीं बोर्ड में ए ग्रेड प्राप्त करने वाले व सरकारी सेवा में चयनित 31 प्रतिभाओं का सम्मान प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह व मैडल देकर किया गया। समारोह में नोखा, कक्कू, सारूण्डा, सिंजगुरु, बेरासर, देशनोक, नापासर, नागौर, गंगाशहर, बीकानेर से हजारों की संख्या में समाजबंधु उपस्थित थे।

14 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित

बीकानेर, (कासं)। जांच के दौरान अनियमितताएं पाये जाने पर 14 मेडिकल स्टोर्स के अनुज्ञा पत्र निलम्बित किये गए हैं। अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक देवेन्द्र कुमार केदावत ने बताया कि नोखा हॉस्पिटल के सामने स्थित ब्रह्माणी मेडिकोज, ऊपनी स्थित बालाजी मेडिकल स्टोर, नोखा जेल रोड स्थित बाबा रामदेव मेडिकोज, सादुलगंज स्थित गौरव मेडिकल एंड जनरल स्टोर, नोखा रोड़ा रोड स्थित चिरंजीवी मेडिकल स्टोर, करमीसर चौराहा स्थित चारवी मेडिकोज, श्रीडूंगरगढ़ घूमचक्कर के पास स्थित बालाजी मेडिकोज एवं नोखा जैन चौक स्थित ब्रह्माणी मेडिसिन स्टोर का अनुज्ञापत्र 28 जून से 2 जुलाई तक निलंबित किया। अनुज्ञापन प्राधिकारी ने बताया कि लूणकरनसर स्थित भारत मेडिकल स्टोर, छतरगढ़ स्थित भावना मेडिकल एंड जनरल स्टोर, सेरूणा स्थित जी एच मेडिकल एंड जनरल स्टोर का अनुज्ञापत्र 28 जून से 4 जुलाई तक, श्रीडूंगरगढ़ स्थित घूमचक्कर मेडिकल स्टोर, नापासर स्थित गोपाल मेडिकल एंड जनरल स्टोर तथा सीएससी पूगल के सामने स्थित ब्रह्माणी मेडिकल स्टोर का अनुज्ञा पत्र 28 जून से 7 जुलाई तक निलंबित किए गए हैं।

सार्वजनिक नोटिस

दिनांक 26-06-2023

यह बड़े पैमाने पर जनता को जानकारी देने के लिए है कि हमारे मुवक्किल और उसकी सहयोगी तथा नियंत्रित कम्पनी सरदाऱपुरा और केलां गांवों (पटवार हल्का केलां) के निम्नलिखित आराज़ी /खसरा नंबरों में लगभग 659.3818 एकड़ के बराबर 1629.332 हेक्टेयर भूमि पट्टे पर लेनें का इरादा रखती हैं। यह जमीन राजस्थान में निम्नलिखित आराज़ी / खसरा नंबर में स्तित है::

क्र.सं.	वर्तमान मालिकान	आराज़ी	गाँव	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	इकबाल अहमद पुत्र सोणा हिस्सा -1/3, मंजूरखां पुत्र सोणा हिस्सा -1/3, शरीफखां पुत्र सोणा हिस्सा -1/3	438/2	सरदाऱपुरा	6.3225
2.	खालक पुत्र बिरामखॉं	438	सरदाऱपुरा	6.3225
3.	सुभाष पुत्र मंगतुराम	427/939	सरदाऱपुरा	6.3225
4.	मेऊखॉं पुत्र कायमखॉं हिस्सा-1/8, नाबालिग यारू खां पुत्र कायमखां सरंक्षक माता गामा पत्नी कायमखां हिस्सा-1/8, रामेश्वर पुत्र चतराराम हिस्सा- 1/2, शाकिर अली पुत्र कायमखॉं हिस्सा-1/8, सुल्तानखॉं पुत्र कायमखॉं हिस्सा-1/8	427/936	सरदाऱपुरा	8.8136
5.	नत्थूखां पुत्र आलमखॉं हिस्सा-1/5, नाजूखां पुत्र आलमखॉं हिस्सा-1/5, फजल खां पुत्र आलमखॉं हिस्सा-1/5, फलक शेर पुत्र आलमखॉं हिस्सा-1/5, मिठो पत्नि स्व. आलमखॉं हिस्सा - 1/5	428 429/1 430/1	सरदाऱपुरा	2.4152 0.6955 3.2245
6.	लाला पुत्र ख़ण्डू	429	सरदाऱपुरा	6.3225
7.	सत्तार पुत्र करीम	430 431	सरदाऱपुरा	1.53 4.6154
8.	गामा पत्नी कायमखॉं	427	सरदाऱपुरा	6.3225
9.	कायमखॉं पुत्र साबूखॉं	427/935	सरदाऱपुरा	6.3225
10.	आसूसिंह पुत्र करणीदानसिंह हिस्सा - 1/4, डूंगरसिंह पुत्र करणीदानसिंह हिस्सा - 1/4, भंवरसिंह पुत्र करणीदानसिंह हिस्सा - 1/4, लालासिंह पुत्र करणीदानसिंह हिस्सा - 1/4	426	सरदाऱपुरा	10.4954
11.	आसू सिंह पुत्र स्व. करणीदान सिंह (1/4 शेयर), डूंगर सिंह पुत्र स्व. करणीदान सिंह (1/4 शेयर), भंवर सिंह पुत्र स्व. करणीदान सिंह (1/4 शेयर), लाल सिंह पुत्र स्व. करणीदान सिंह (1/4 शेयर)	425	सरदाऱपुरा	40.4954
12.	फातमा पत्नि सुल्तानखॉं	424 425 427/938	सरदाऱपुरा	8.2193 1.8841 1.1633
13.	सली पत्नि अलीखां	427/937 427/940	सरदाऱपुरा	3.1613 3.1613
14.	भगवानाराम पुत्र देदाराम हिस्सा -1/4, मोडाराम पुत्र देदाराम हिस्सा -1/4, लिछ्मा पत्नि दुला राम हिस्सा - 1/4, श्रीराम पुत्र देदाराम हिस्सा -1/4	434	सरदाऱपुरा	17.2984
15.	दानाराम पुत्र बद्री हिस्सा -1/2, धापूदेवी पत्नी. बद्री हिस्सा -1/2	432	सरदाऱपुरा	14.7314
16.	खीयाराम पुत्र चैना राम	374	सरदाऱपुरा	24.5313
17.	रुघाराम पुत्र चतराराम	373/3	सरदाऱपुरा	7.5870
18.	अनवर पुत्र पिरणखां हिस्सा-1/14, अमोल पत्नी संजयकुमार हिस्सा-1/4, करमो पत्नि स्व. अल्लादिवायाउर्फदिवायेखॉं हिस्सा-1/4, तोली देवी पत्नि सोहनला हिस्सा – 1/4, रमजान पुत्र पिरणखां हिस्सा – 1/14, लतीफ शाह पुत्र जमाल शाह हिस्सा – 3/28	373/2	सरदाऱपुरा	17.703
19.	अनवर पुत्र पिरणखां हिस्सा-1/4, करमो पत्नि स्व. अलादिवाया हिस्सा - 1/2, रामजन पुत्र पिरणखां हिस्सा-1/4	373	सरदाऱपुरा	7.5870
20.	ईन्द्राज पुत्र भूरा	375/446 377/815	सरदाऱपुरा	8.3457 4.2993
21.	भींया राम पुत्र दुलाराम हिस्सा - 1/3 मघा राम पुत्र दुलाराम हिस्सा - 1/3 मूलाराम पुत्र भैराराम हिस्सा - 1/6 हडमानराम पुत्र भैराराम हिस्सा - 1/6	377	सरदाऱपुरा	13.1508
22.	अन्नु पुत्री चूननाथ हिस्सा - 1/12, कुम्भनाथ पुत्र भगवान हिस्सा - 1/2, गंगा पुत्री चूननाथ हिस्सा - 1/12, बिशननाथ पुत्र चूननाथ हिस्सा - 1/12, भंवरी देवी पत्नि स्व. चूननाथ हिस्सा - 1/12, लिछ्मा देवी पुत्री चूननाथ हिस्सा - 1/12, सोना देवी पुत्री चूननाथ हिस्सा - 1/12	381	सरदाऱपुरा	17.5766
23.	कलनाथ पुत्र बीझानाथ हिस्सा - 1/6, भैरनाथ पुत्र बीझानाथ हिस्सा - 1/6, भानीनाथ पुत्र बीझानाथ हिस्सा - 1/6, मेघनाथ पुत्र बीझानाथ हिस्सा - 1/6, सुन्दरनाथ पुत्र बीझानाथ हिस्सा - 1/6, सुरजनाथ पुत्र बीझानाथ हिस्सा - 1/6	380	सरदाऱपुरा	6.98
24.	शंकरलाल पुत्र तोलाराम	474/391	सरदाऱपुरा	6.3225
25.	ओमप्रकाश पुत्र स्व. भीखाराम हिस्सा - 1/6, गोपीराम पुत्र स्व. भीखाराम हिस्सा - 1/6, जेठी पत्नि स्व. भीखाराम हिस्सा - 1/6, रामेश्वरलाल पुत्र स्व. भीखाराम हिस्सा - 1/6, श्रवणराम पुत्र स्व. भीखाराम हिस्सा - 1/6, सोहनलाल पुत्र स्व. भीखाराम हिस्सा - 1/6	473/391	सरदाऱपुरा	6.3225
26.	पेमी पत्नि स्व . हाजारीराम हिस्सा - 1/6, भींयाराम पुत्र हजारीराम हिस्सा - 1/6, मोटाराम पुत्र हजारीराम हिस्सा - 1/6, रामूराम पुत्र हजारीराम हिस्सा - 1/6, लिछ्मणराम पुत्र हजारीराम हिस्सा - 1/6, सम्पतलाल पुत्र हजारीराम हिस्सा - 1/6	372	सरदाऱपुरा	11.8863
27.	अमरनाथ पुत्र ज्यानीनाथ	369/928	सरदाऱपुरा	10.1160
28.	गीता पुत्री गोपालनाथ हिस्सा - 1/18, जेठनाथ पुत्र गोपालनाथ हिस्सा - 1/18, जमना पुत्री गोपालनाथ हिस्सा - 1/18, ज्यानीनाथ पुत्र भगवाननाथ हिस्सा - 1/2, बुधनाथ पुत्र गोपालनाथ हिस्सा - 1/18, मघानाथ पुत्र गोपालनाथ हिस्सा - 1/18, माया पुत्री गोपालनाथ हिस्सा - 1/18, मोतीनाथ पुत्र गोपालनाथ हिस्सा - 1/18, रेवन्तनाथ पुत्र गोपालनाथ हिस्सा - 1/18, सोदरा पत्नि स्व . गोपालनाथ हिस्सा - 1/18	369	सरदाऱपुरा	15.174
29.	रेवन्तनाथ पुत्र गोपालनाथ	369/932	सरदाऱपुरा	7.587
30.	फरीदनाथ पुत्र दीपनाथ	369/837	सरदाऱपुरा	3.7935
31.	देबूनाथ पुत्र दीपनाथ	369/929	सरदाऱपुरा	3.7935
32.	ओमप्रकाश पुत्र किशनलाल हिस्सा -1/8, कैलाशनाथ पुत्र केशूनाथ हिस्सा -1/36, किरणसरण पुत्री केशूनाथ हिस्सा - 1/36, किशना पुत्री केशूनाथ हिस्सा - 1/36, चम्पा पुत्री केशूनाथ हिस्सा - 1/36, जाना उर्फ जानकी पत्नि श्रवणनाथ हिस्सा - 1/8, दुर्गा देवी पुत्री केशूनाथ हिस्सा - 1/36, पूनमनाथ पुत्री केशूनाथ हिस्सा - 1/36, पुष्पा पत्नि स्व. केशूनाथ हिस्सा - 1/36, बनवारीनाथ पुत्र भूरनाथ हिस्सा - 1/4, राजूनाथ पुत्र भूरनाथ हिस्सा - 1/8, श्रवणनाथ पुत्र भूरनाथ हिस्सा - 1/8, सुशीला पुत्री केशूनाथ हिस्सा - 1/36, सोना पुत्री केशूनाथ हिस्सा - 1/36	369/930	सरदाऱपुरा	30.348
33.	गिरधारीनाथ पुत्र रामनाथ	369/933	सरदाऱपुरा	6.3225
34.	सागरनाथ पुत्र शेरनाथ	369/838	सरदाऱपुरा	7.5870
35.	अनवर पुत्री रामतुखॉं हिस्सा - 1/7, भवरुखॉं पुत्र रामतुखॉं हिस्सा - 1/7, मोहम्मदखॉं पुत्र रामतुखॉं हिस्सा - 1/7, यासीनखॉं पुत्र रामतुखॉं हिस्सा - 1/7, रहीमा पत्नि रामतुखॉं हिस्सा - 1/7, सुल्ताना पुत्री रामतुखॉं हिस्सा - 1/7, सहीदा पुत्री रामतुखॉं हिस्सा - 1/7	368	सरदाऱपुरा	18.9675
36.	मानसिंह पुत्र मेगसिंह हिस्सा -1/2, मोहनसिंह पुत्र मेगसिंह हिस्सा -1/2	366	सरदाऱपुरा	5.8167
37.	डालूराम पुत्र मोडाराम	365	सरदाऱपुरा	12.5944
38.	सादक पुत्र मोहकमखॉं	364	सरदाऱपुरा	0.8599
39.	सुरेशचंद पुत्र मोहनलाल हिस्सा -1/2, सरोज पत्नी सुरेशचंद हिस्सा -1/2	364/1	सरदाऱपुरा	8.8515
40.	गोमदराम पुत्र जैसाराम हिस्सा - 1/6, चुनाराम पुत्र जैसाराम हिस्सा - 1/6, चोरुराम पुत्र शंकरराम हिस्सा - 1/24, छोटुराम पुत्र जैसा राम हिस्सा - 1/6, तारुराम पुत्र शंकरराम हिस्सा - 1/24, बिसनारम पुत्र जैसाराम हिस्सा - 1/6, भंवरी पुत्री शंकरराम हिस्सा - 1/24, सुवटी पुत्री शंकरराम हिस्सा - 1/24, सोनाराम पुत्र जैसाराम हिस्सा - 1/6	375	सरदाऱपुरा	12.7967
41.	मंगला पुत्र रावता	376	सरदाऱपुरा	7.5870
42.	अकुडा पुत्र जालू	378	सरदाऱपुरा	11.3805
43.	नारायण पुत्र बुधा	379	सरदाऱपुरा	2.5290
44.	चान्दा पुत्र बुधा	379/820	सरदाऱपुरा	2.5290
45.	सन्दू पुत्र बुधा	379/819	सरदाऱपुरा	2.5290
46.	किशनाराम पुत्र कानाराम हिस्सा -1/3, कोजूराम पुत्र मोडाराम हिस्सा -1/3, पूर्णाराम पुत्र रामूराम – 1/3	423	सरदाऱपुरा	8.3963
47.	केसूराम पुत्र लूणाराम हिस्सा - 511/2770, कानाराम पुत्र रामचन्द्र हिस्सा - 511/2770, गोमन्दराम पुत्र लूणराम हिस्सा - 1/1385, जगदीश पुत्र जेठाराम हिस्सा - 511/2770, जमना पत्नि लूणाराम हिस्सा - 213/2770, नथी पत्नि सोनाराम हिस्सा -511/2770, सूरजा राम पुत्र लूणा राम हिस्सा - 511/2770	422	सरदाऱपुरा	5.7535
48.	मोहनराम पुत्र स्व. अन्नाराम	420	सरदाऱपुरा	16.5144
49.	गोविंदराम पुत्र आसाराम	419	सरदाऱपुरा	12.3415
50.	अमरसिह पुत्र प्रतापसिंह हिस्सा - 1/4, नाबालिग भैरुसिह पुत्र प्रतापसिह सरंक्षक मोहनकवर हिस्सा – 1/4, नाबालिग भीमसिह पुत्र प्रतापसिह सरंक्षक मोहनकवर हिस्सा - 1/4, मोहनकवंर पत्नि स्व. प्रतापसिह हिस्सा - 1/4	706 703 704/1	केलन	23.6967 42.3102 1.96
51.	कादरखां पुत्र खानू हिस्सा - 1/10, कालू खां पुत्र खानू हिस्सा - 1/10, खुर्शीदा पुत्री खानू हिस्सा - 1/10, जाका पुत्री खानू हिस्सा - 1/10, ठेकेखां पुत्र खानू हिस्सा - 1/10, निदामा पुत्री खानू हिस्सा - 1/10, पल्लूखां पुत्र खानू हिस्सा - 1/10, मूमताजअली पुत्र खानू हिस्सा - 1/10, लियाकतखां पुत्र खानू हिस्सा - 1/10, समीरा पुत्री खानू हिस्सा - 1/10	707/1513	केलन	6.3225
52.	हाजरा पत्नी आशिकअली	707/1516	केलन	5.0327
53.	अमीना पुत्री फरीदखां हिस्सा - 1/9, इज्जत पुत्री फरीदखां हिस्सा - 1/9, जमीला पुत्री फरीदखां हिस्सा - 1/9, बीरबलखां पुत्र फरीदखां हिस्सा - 1/9, यासीन पुत्र फरीदखां हिस्सा - 1/9, रेशमा पुत्री फरीदखां हिस्सा - 1/9, वकीला पुत्री फरीदखां हिस्सा - 1/9, शरीफा पत्नि स्व. फरीदखां हिस्सा - 1/9, सहीदा पुत्री फरीदखां हिस्सा - 1/9	707/1515	केलन	9.1297
54.	खेरू पुत्र गणेखां	707/1512	केलन	6.3225
55.	गफूरखां पुत्र सुलतान हिस्सा - 1/3, मन्ता पत्नि स्व. सुलतान हिस्सा - 1/3, सकूरखां पु सुलतान हिस्सा - 1/3	707/1514	केलन	6.3225
56.	आसिक पुत्र कासमखॉं हिस्सा - 4/5, शरीफा पत्नि कासमखॉं हिस्सा - 1/5	716/1265	केलन	6.3225
57.	हरप्रीतकौर पत्नि सुखमन्दरसिंह	716/1759	केलन	5.058
58.	इन्साफ पुत्र हजूरेखां हिस्सा - 697/5019, कुरबान पुत्र हजूरे रेखां हिस्सा - 697/5019, गुड्डी पत्नि सिकन्दरखॉं हिस्सा -145/1673 जन्ती पुत्री हजूरे रेखां हिस्सा - 28/717, बिस्मिला पुत्री हजूरेखां हिस्सा - 28/717, भूरा पत्नि हजूरे रेखां हिस्सा - 28/717, मंजूरखां पुत्र शादा हिस्सा - 35/239, सुभान पुत्र मो. हजूरे खान हिस्सा - 697/5019, सिकन्दरखॉं पुत्र शादा हिस्सा - 390/1673	716/1258 814 816 894 872 817 896	केलन	2.529 12.1392 0.6323 2.4026 2.1497 0.607 0.6955
59.	अयान पुत्र मनफूल हिस्सा - 1/40, आरजू बानो पुत्री मनफूल हिस्सा - 1/40, कमो पुत्री अकबर हिस्सा - 1/8, गुलाम कादर पुत्र अकबर हिस्सा - 1/8, गामा पुत्री अकबर हिस्सा - 1/8, नसीबा पत्नि स्व. अकबर हिस्सा - 1/8, बाबू खां पुत्र मनफूल हिस्सा - 1/40, मरियम पुत्री अकबर हिस्सा - 1/8, शर्मा पुत्री अकबर हिस्सा - 1/8, सलमा पत्नि मनफूल हिस्सा - 1/40, सिमरन पुत्री मनफूल हिस्सा - 1/40 हैदरखॉं पुत्र अकबर हिस्सा - 1/8	701 700/1 825 826 829 830	केलन	4.5522 6.0443 3.4394 1.8968 0.5943 2.921

उपरोक्त जमीन के वर्तमान मालिकान ने दर्शाया तथा घोषित किया है कि, उपरोक्त जमीन सभी तरह के भार, प्रभार, पट्टा आदि से मुक्त है। उपरोक्त जमीन के वर्तमान मालिकान ने यह भी घोषित किया है कि जमीन किसी भी तरह के कोई समझौता, पट्टा, समझौता ज्ञापन आदि का हिस्सा\ विषय नहीं है और कोई कानूनी बाधाओं से प्रभावित नहीं हैं एवं उपरोक्त जमीन खरीदने के लिए कानूनी रूप से पाक साफ़ है। तात्पर्य यह है की उक्त जमीन के सन्दर्भ में हमारे मुवक्किल इस आधार पर उपरोक्त जमीन के गुणों का ध्यान रखते हुए इसे खरीदने के लिए सहमति व्यक्त किया है। कोई भी व्यक्ति, कंपनी, एजेंसी, तथा संस्था का कोई अधिकार, हक़, दावा, वाह मांग उपरोक्त ज़मीन या उसके किसी हिस्से के विरुद्ध हो जो की विरासत, बंधक, कब्जे के माध्यम से, बिक्री, विनिमय, लाइसेंस, उपहार, पट्टा, ग्रहणाधिकार, प्रभार, विश्वास, रखरखाव, वसीयत, सहजता, विकास के अधिकार, साझेदारी, संयुक्त उद्यम, हुकमनामा या किसी भी न्यायालय के आदेश, अधिग्रहण की सूचना या किसी अन्य समझौते / समझ अनुसरण, के तहत हो तो वह व्यक्ति, कंपनी, एजेंसी, तथा संस्था को इस सार्वजनिक सूचना के जारी करने के सात (7) दिनों के भीतर मूल रूप से दस्तावेजी साक्ष्य के साथ नीचे दिए गए पते पर, अधोहस्ताक्षरी को लिखित रूप में, समान रूप से ज्ञात करने की के आवश्यकता हैं। यदि पूर्वकथित अवधि के दौरान कोई भी दावा/आपत्ति नीचे दिए गए पते पर ज्ञात \सूचित करने में विफल होते हैं तोह वह दावा/आपत्ति आदि को माफ कर दिया गया/परित्यक्त, माना जाएगा।

श्री दीपक चौधरी, वकील, +91 9490141393/ +91 8125506521
2 फ्लोर, ब्लॉक डी, द मीरा, मथुरा रोड, नई दिल्ली 110065 इंडिया